

क्रमांक/रा.मा.शि.अ./अतिथि शिक्षक/2019/2005

भोपाल, दिनांक 3.7.2019

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
म.प्र.।

विषय :- अतिथि शिक्षकों के लंबित भुगतान के संबंध में।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य एवं अतिथि शिक्षकों से प्राप्त आवेदन में उल्लेख किया गया है कि संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों की ज्वाईनिंग न होने के कारण अतिथि शिक्षकों का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से हुई अव्यवस्था के लिये संबंधित संकुल प्राचार्य को चेतावनी पत्र जारी करें।

शैक्षणिक सत्र 2018-19 समाप्त हो चुका है। अतः राज्य स्तर से GFMS पोर्टल पर ऑनलाईन ज्वाईनिंग संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कृपया लंबित आवेदनों का निम्नलिखित बिन्दुओं पर परीक्षण करें।

1. अतिथि शिक्षक को विद्यालय द्वारा विषयमान से रिक्त पद के विरुद्ध ही रखा गया है।
2. निर्धारित योग्यता एवं स्कोर कार्ड धारी आवेदक को रखा गया है।
3. विद्यालय द्वारा अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रमाणित की गई है।

उक्त बिन्दुओं पर परीक्षण उपरांत विद्यालय द्वारा रखे गये अतिथि शिक्षक के द्वारा किए गए कार्य के आधार पर नियमानुसार मानदेय भुगतान की कार्यवाही करने की स्वीकृति दी जाती है।

(प्रयत्नी कियवित)

2 आयुक्त  
लोक शिक्षण म.प्र.

### कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/अति.शि. भुग./2019/09

रीवा दिनांक 03.07.2019

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
2. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा।
3. कलेक्टर, जिला रीवा।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा।
6. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा।
7. समस्त प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./हाई स्कूल जिला रीवा की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पत्र में वर्णित निर्देशानुसार अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान की नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला रीवा (म.प्र.)  
03/07/19